सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन सूचना ई-मित्र
समाचार

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उद्देश्य -

राज्य के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिनमनी एवं सीजीटीएमएसई फीस का पुनर्भरण करना।

योजना अवधि - योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

पात्रता की शर्तें -

- 18 से 45 वर्ष तक की आयु के आवेदक ही पात्र
- एच. यू. एफ., सोसायटी भागीदारी फर्म, कम्पनी की स्थिति में न्यूनतम 51% हिस्सेदारी 18-45 की आयु के व्यक्ति का होना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी वित्तीय संस्थान / बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

राजकीय सहायता - ब्याज मुक्त ऋण एवं मार्जिनमनी अनुदान दोनों देय

शैक्षणिक योग्यता	अधिकतम ऋण सीमा	मार्जिन मनी अनुदान	ब्याज अनुदान
8 वीं से 12वीं कक्षा पास	अ) सेवा और व्यापार क्षेत्र रु. 3.5 लाख अधिकतम ब) विनिर्माण क्षेत्र-रु. 7.5 लाख अधिकतम	ऋण राशि का 10% अधिकतम 35 हजार रुपये	100% ब्याज अनुदान
स्नातक/आई.टी.आई.प्रमाण पत्र धारक एवं उससे अधिक योग्यता वाले आवेदक	अ) सेवा और व्यापार क्षेत्र रु.5 लाख अधिकतम ब) विनिर्माण क्षेत्र-रु.10 लाख अधिकतम	ऋण राशि का 10% अधिकतम 50 हजार रुपये	100% ब्याज अनुदान

- ऋण अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक

ऋणदात्री संस्थान

- समस्त राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंक, सीडबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक
- अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक एवं सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक

आवश्यक दस्तावेज

- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, पेनकार्ड, SAN एवं उद्यम पंजीयन प्रमाण-पत्र इत्यादी

योजना के अन्तर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची :-

- वाणिज्यिक परिवहन वाहन, जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रु. से अधिक हो।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद /गतिविधियों।
- खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां ।
- अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।

(एस.एस.ओ. राजस्थान पर लॉगइन कर एमवाईएसवाई पोर्टल पर क्लिक कर आवेदन पत्र भरें तथा आवश्यक दस्तावेज यथा फोटो, आधार/जनआधार कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित परियोजना रिपोर्ट इत्यादी)

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -